उभरते उद्यमियों को मिलेगा अब 20 लाख तक कर्ज

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : सरकार ने तरुण प्लस की नई श्रेणी के तहत कर्ज सीमा को दोगुना किया

नई दिल्ली। सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत कर्ज सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक, तरुण प्लस की नई श्रेणी 10 लाख से अधिक और 20 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए है। इसकी सुविधा उन उद्यमियों को मिलेगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पिछले कर्जों का सफलतापूर्वक भुगतान किया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, कर्ज सीमा में वृद्धि के जरिये हम मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह वृद्धि उभरते उद्यमियों के लिए फायदेमंद है। इससे उनके विकास और विस्तार में मदद मिलेगी। यह कदम एक मजबूत उद्यमशीलता तंत्र को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। एजेंसी

वित्त मंत्री ने बजट में की थी घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि पीएमएमवाई के तहत कर्ज की मौजूदा सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा।

- प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद गैर-कृषि लघु एवं सूक्ष्म व गैर-कॉरपोरेट उद्यमियों को 10 लाख तक का आसान और बिना गारंटी के सूक्ष्म कर्ज उपलब्ध कराना है।

तीन श्रेणियों में मिलता है कर्ज

*मौजूदा योजना के तहत बैंक उद्यमों के विस्तार के लिए तीन श्रेणियों में कर्ज देते हैं। **शिशु श्रेणी** के तहत 50,000 रुपये तक और **किशोर श्रेणी** के तहत 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये के बीच बिना किसी गारंटी के कर्ज दिया जाता है। **तरुण श्रेणी** के तहत कारोबारियों को 10 लाख तक का कर्ज मुहैया कराया जाता है। ये कर्ज सदस्य ऋण संस्थान (एमएलआई), बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई) और अन्य वित्तीय मध्यस्थ देते हैं।*